POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 05.04.2026

1. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा घरों में चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ज्वैलरी (कीमत लगभग 15 लाख रुपये), चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.04.2026** को **थाना बीटा-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से घरों में चोरी करने वाला एक अभियुक्त शिवकुमार पुत्र रामकिशोर को नट मढैय्या गोल चक्कर सर्विस रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 104/2026 धारा 306 बीएनएस से संबंधित चोरी की गई ज्वैलरी 1.तीन गले के हार (सोने के) 2.तीन कान के टॉप्स (सोने के) 3.एक अंगूठी (सोने की) 4.दो चूडी (सोने की) 5. एक जोडी पायल (चाँदी की) 6.दो टॉप्स (चाँदी के) 7.एक ब्रेसलेट (सोने का) 8.विदेशी मुद्रा, एक चोरी की मोटरसाइकिल व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है। बरामद ज्वैलरी की कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। अभियुक्त द्वारा वादी के घर में नौकरी करते हुए उपरोक्त सामान की चोरी की गई थी, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बीटा-2 पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 306 बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्त शातिर किस्म का चोर हैं जो कि घरो में नौकरी करते हुए रैकी करके कीमती सामान, ज्वैलरी आदि की चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है व चोरी किये गये सामान को बेचकर अवैध धन अर्जित करता है। अभियुक्त शिवकुमार ने दिनांक 23.03.2026 को मुकदमा वादी के घर में नौकरी करते हुए उनके घर से करीब 15 लाख रूपये की ज्वैलरी चोरी कर फरार हो गया था।

अभियुक्त का विवरण-- शिवकुमार पुत्र रामकिशोर सिंह निवासी साधीरा, थाना अजगेन, जिला उन्नाव वर्तमान निवासी निहाल विहार, दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 80001080/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना मौर्या इंकलेव, दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 104/2026 धारा 306/317(5)/317(2) बीएनएस थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 120/2026 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. तीन गले के हार (सोने के)
2. तीन कान के टॉप्स (सोने के)

3. एक अंगूठी (सोने की)
4. दो चूडी (सोने की)
5. एक जोडी पायल (चाँदी की)
6. दो टॉप्स (चाँदी के)
7. एक ब्रेसलेट (सोने का)
8. मुद्रा (भारतीय मुद्रा, वियतनाम मुद्रा, डालर)
9. एक चोरी की मोटरसाइकिल रजि नं0 UP86T3611
10. 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

2. थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ऊपर-नीचे 500 रुपये का नोट लगी हुयी 02 कागज की गड्डियां व 2500 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.04.2026** को **थाना फेस-2 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से ठगी करने वाले 02 अभियुक्त 1.विशाल उर्फ नन्हे पुत्र स्वर्गीय भीम सिंह 2.करन सोलंकी पुत्र सेवाराम सोलंकी को ग्राम भंगेल, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 कागज की गड्डियां जिनपर ऊपर-नीचे की तरफ केवल 01-01 नोट 500 रूपये का लगा हुआ व 2500 रूपये नगद बरामद हुए है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण द्वारा व्यक्तियों को कागज की गड्डी जिन पर ऊपर-नीचे की तरफ केवल 01-01 नोट 500 रूपये लगा हुआ होता है, दिखाकर रूपयों का लालच देकर बदले में उनके कीमती आभूषणों की ठगी कर फरार हो जाते थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. विशाल उर्फ नन्हे पुत्र स्वर्गीय भीम सिंह निवासी प्रेम नगर, थाना नांगलोई, दिल्ली उम्र 19 वर्ष।
2. करन सोलंकी पुत्र सेवाराम सोलंकी निवासी सभापुर, थाना लोनी, जिला गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 153/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- कब्जे से 02 कागज की गड्डी जिसमें 500 रूपये के 01-01 नोट
2- 2500 रूपये(नगद)

3. थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा घरेलू सहायक के रूप में कार्य कर चोरी करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, चोरी के आभूषणों की बिक्री से प्राप्त ₹2,00,000/- नकद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.04.2026** को **थाना सेक्टर-20 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से घरेलू सहायक के रूप में कार्य कर चोरी करने वाली अभियुक्ता रूबी देवी पत्नी मनोज साह को लखनऊ हवाई अड्डे के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्ता के कब्जे से चोरी के आभूषणों की बिक्री से प्राप्त ₹2 लाख नकद बरामद किए गए हैं।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्ता द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसकी मुलाकात उसकी साथी रेश्मा पत्नी सागर, निवासी गुजरात, से दिल्ली में हुई थी। रेश्मा के पिता उसके पड़ोसी हैं। दोनों ने जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में सेक्टर-20, नोएडा स्थित एक घर में घरेलू कार्य करने के बहाने प्रवेश कर वहां से ज्वैलरी चोरी की थी, जिसे बाद में आपस में बांट लिया गया। अभियुक्ता ने अपने हिस्से की ज्वैलरी को अज्ञात व्यक्ति को मजबूरी का हवाला देकर कम कीमत पर बेच दिया। उक्त बिक्री से प्राप्त धनराशि में से शेष ₹2,00,000/- अभियुक्ता के कब्जे से बरामद हुए हैं, जिन्हें वह अपने निजी आवश्यक कार्यों हेतु अपने पास रखे हुए थी। शेष धनराशि उसने अपनी आवश्यकताओं में खर्च कर दिए। अन्य फरार अभियुक्ता रेश्मा पत्नी सागर की तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-- रूबी देवी पत्नी मनोज साह निवासी शीव कुमारी पहार, कहलगांव, कोलगोंग, भागलपुर (बिहार), उम्र 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0- 031/2026 धारा 305ए/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0- 319/2018 धारा 380/411/34 भादवि, थाना विवेक विहार, दिल्ली।
3- मु0अ0सं0- 370/2018 धारा 380 भादवि, थाना पंजाबी बाग, दिल्ली।

बरामदगी का विवरण--

आभूषणों की बिक्री से प्राप्त ₹2,00,000/- नकद